संख्या- 18/1469/49-3-2014-218/2004टी0सी0

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 11दिसम्बर, 2014

विषय- भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन कोल नीति-2007 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की लघु एवं मध्यम टाइनी औद्योगिक इकाईयों को कोयले की उपलब्धता निश्चित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश(माडयुलेट) का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार की नवीन कोल नीति-2007 के अनुसार उत्तर प्रदेश की लघु एवं मध्यम टाइनी औद्योगिक इकाईयों को कोयला सुचारू रूप एवं पारदर्शिता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 18/1469(1)/49-3-2014,तद् -दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन।
2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला प्रबन्धक, यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

शोभ नाथ बिन्द
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन कोल नीति-2007 के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम तथा टाईनी औद्योगिक इकाइयों (जिसमें ईंट भटठे भी शामिल हों) को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश (माडयुलेट)।</u>

शासन के आदेश संख्या-886/49-3-2014-218/2004, दिनांक 16-7-2014 द्वारा उत्तर प्रदेश की केवल लघु एवं मध्यम तथा टाईनी औद्योगिक इकाईयों को कोयले की मॉग आपूर्ति हेतु यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ को कोल इण्डिया एवं भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत प्रदेश में कोयले की आपूर्ति हेतु राजकीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रदेश की लघु एवं मध्यम तथा टाइनी औद्योगिक इकाईयों(जिसमें ईट, भटठे भी शामिल हों) को उक्त कोयले की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :--

1- यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के प्रदेश में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन (टिन नं0) प्राप्त है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले आच्छादित होते हैं, कोल की रैके मण्डल स्तर पर जहॉ रैक की साइडिंग होगी वही पर गन्तव्य स्थान माना जायेगा।

2- रैक प्वाइन्ट से सम्बन्धित मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन के जिला प्रबन्धक को रैक, छुड़ाने हेतु अधिकृत किया जायेगा।

3- कोयलरी से प्राप्त होने वाली रैकों का सम्बन्धित जिलों में प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी।

4- कोयलरी से प्राप्त होने वाली रैकों का वितरण 4200 मै0टन वार्षिक खपत से अधिक खपत करने वाली लघु एवं मध्यम इकाईयों/ईट, भटठा इत्यादि को नहीं किया जाना है। जनपद में 4200 मै0टन से कम वार्षिक खपत करने वाली वास्तविक क्रेता इकाइयों को ही वितरण किया जायेगा, जिसका निर्धारण निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगा :--

(अ) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

(ब) जिला अधिकारी द्वारा संसूचित औद्योगिक एसोसियेशन के प्रतिनिधि/ईट,भटठे एसोसियेशन के प्रतिनिधि।

(स) क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0।

5- उक्त समिति द्वारा निम्न प्रारूप पर ईकाईवार/भटठे वार कोयला खपत करने वालों की आवश्यकता विवरण तैयार किया जायेगा जिसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी :--

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ईकाई का नाम	पंजीकरण संख्या	व्यापार-कर संख्या	ईकाई की वार्षिक आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

6- वास्तविक उपभोक्ता ईट भटठा के अस्तित्व के प्रमाण में निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप में लिये जायेगे :--

(अ) खनन रायल्टी भुगतान चालान की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति।

(ब) वैट के टिन नं0 की स्वयं प्रमाणित प्रति।

(7)- लघु एवं मध्यम उद्योग के अस्तित्व प्रमाण हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से लिये जायेगें :--

(अ) उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।

(ब) वाणिज्य कर विभाग से आबंटित टिन नं0 की स्वयं प्रमाणित प्रति।

(स) पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) ईट,भटठा लघु एवं मध्यम उद्योग से विक्रय किये जाने वाले कोयले का मूल्य क्रेता इकाई के खाते से बनाये गये ड्राफट /आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के जिला प्रबन्धक द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(9) ईट,भटठा लघु एवं मध्यम इकाई द्वारा कोयला की प्राप्ति की पुष्टि सम्बन्धित जनपद की निम्न कमेटी द्वारा की जायेगी।

1- उद्योग निदेशक/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नामित अधिकारी।

2- जिला प्रबन्धक, यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 द्वारा नामित अधिकारी।

10- लघु एवं मध्यम तथा टाइनी औद्योगिक इकाईयों को कोयले के वितरण की सूची सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी तथा यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को निम्न प्रारूप पर अवश्य उपलब्ध कराई जायेगी।

माह का नाम

माह के आरम्भ में अवशेष कोयले की मात्रा	माह में कुल प्राप्त कोयले की मात्रा	माह में वितरित कोयले की मात्रा	माह के अन्त में अवशेष कोयले की मात्रा

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ईकाई का नाम	पंजीकरण संख्या	व्यापार-कर संख्या	ईकाई की वार्षिक आवश्यकता	इकाई को कोल वितरण की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8

11- क्षेत्रीय/जिला प्रबन्धकों द्वारा प्रदेश की लघु एवं मध्यम तथा टाइनी औद्योगिक ईकाइयों जिसमें ईट, भटठे वाले भी शामिल है, को सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराया जायेगा।

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव,सहकारिता विभाग
उ0प्र0शासन ।

http://shasanadesh.up.nic.in